

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 16 मार्च, 2026 को 02.00 बजे मध्याह्न-पश्चात् विधान भवन, चण्डीगढ़ में हरियाणा विधानसभा के हाल में होने वाली हरियाणा विधान सभा की बैठक की कार्यसूची।

I. प्रश्न।

पृथक सूची में दर्ज प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उत्तर दिए जाएंगे।

II. वर्ष 2026-2027 के लिए बजट अनुमानों में अनुदान की मांगों पर हरियाणा विधान सभा की विभागीय स्थायी समितियों संबंधी रिपोर्टें नेवा पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करना।

1.	लोक प्रशासन तथा शासन पर स्थायी समिति के चेयरपर्सन	वर्ष 2026-2027 के लिए बजट अनुमानों में अनुदानों के लिए मांग संख्या 1 से 4 पर लोक प्रशासन तथा शासन पर स्थायी समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
2.	कानून एवं व्यवस्था तथा सुरक्षा पर स्थायी समिति के चेयरपर्सन	वर्ष 2026-2027 के लिए बजट अनुमानों में अनुदानों के लिए मांग संख्या 5 पर कानून एवं व्यवस्था तथा सुरक्षा पर स्थायी समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
3.	वित्त पर स्थायी समिति के चेयरपर्सन	वर्ष 2026-2027 के लिए बजट अनुमानों में अनुदानों के लिए मांग संख्या 6 तथा 7 पर वित्त पर स्थायी समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
4.	कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र, पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन पर स्थायी समिति के चेयरपर्सन	वर्ष 2026-2027 के लिए बजट अनुमानों में अनुदानों के लिए मांग संख्या 10 पर कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र, पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन पर स्थायी समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
5.	खाद्य एवं सहकारी क्षेत्र पर स्थायी समिति के चेयरपर्सन	वर्ष 2026-2027 के लिए बजट अनुमानों में अनुदानों के लिए मांग संख्या 11 पर खाद्य एवं सहकारी क्षेत्र पर स्थायी समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
6.	मानव विकास एवं सामाजिक कल्याण पर स्थायी समिति के चेयरपर्सन	वर्ष 2026-2027 के लिए बजट अनुमानों में अनुदानों के लिए मांग संख्या 12 से 16 पर मानव विकास एवं सामाजिक कल्याण पर स्थायी समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
7.	वृद्धि सक्षमीकरण एवं आधारभूत संरचना विकास पर स्थायी समिति के चेयरपर्सन	वर्ष 2026-2027 के लिए बजट अनुमानों में अनुदानों के लिए मांग संख्या 17 से 19 पर वृद्धि सक्षमीकरण एवं आधारभूत संरचना विकास पर स्थायी समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
8.	क्षेत्रीय विकास एवं स्थानीय स्व-शासन पर स्थायी समिति के चेयरपर्सन	वर्ष 2026-2027 के लिए बजट अनुमानों में अनुदानों के लिए मांग संख्या 20 पर क्षेत्रीय विकास एवं स्थानीय स्व-शासन पर स्थायी समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

III. वर्ष 2026-2027 के लिए बजट।

वर्ष 2026-2027 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा का पुनरारंभ।

IV. विधायी कार्य।

(पुरःस्थापित किए जाने वाले विधेयक)

1. हरियाणा पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2026	एक मंत्री	हरियाणा पुलिस (संशोधन) विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे;
2. हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन (संशोधन) विधेयक, 2026	एक मंत्री	हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन (संशोधन) विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे
3. हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2026	एक मंत्री	हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे

चण्डीगढ़:

15 मार्च, 2026.

राजीव प्रसाद,

सचिव।